न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या 2/2015

बउनवान

बृजराजसिंह पुत्र मूलीलाल जाति जाट उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील अन्ता जिला बारां, राज0

(निगराकार)

बनाम

1. हेमराज
2. भीमराज
3. गजेन्द्रसिंह पुत्रगण देवकरण अकवाम जाट निवासीगण ठीकरिया तह0 अन्ता जिला बारां

(गैरनिगराकारान)

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम।</u>

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक **(निगराकार)**

2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक**(गैर निगराकारान)**

<u>निर्णय दिनांक 18.7.2022</u>

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत ठीकरिया में दिनांक 15.06.1979 को सरपंच द्वारा देवकरण पुत्र धन्नालाल जाति जाट निवासी ठीकरिया के हक में एक प्लॉट जो पूरब दिशा में 36 फीट, पश्चिम में 32 फीट, उत्तर में 105 फीट एवं दक्षिण में 107 फीट जिसकी चर्तुसीमायें पूरब में रास्ता आम, पश्चिम में प्लॉट मूलीलाल, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में प्लॉट बिशनलाल का पट्टा जारी किया था जो अनुसूचित जाति, जनजाति कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषको को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड हेतु था। जो तत्कालीन संरपंच व देवकरण द्वारा षडयन्त्रपूर्वक तैयार किया हुआ है। देवकरण का देहान्त हो चुका है, तथा गैरनिगराकारान मृतक देवकरण के जायज वारिस व उत्तराधिकारी हैं। उक्त भूखण्ड आवंटन के वक्त देवकरण के खाते में 156 बीघा भूमि स्थित थी, तथा वह भूमिहीन नही थे, ना ही अनुसूचित जाति, जनजाति के है, और ना ही लघु कृषक की श्रेणी में आते थे। परन्तु तत्कालीन सरंपच से मिलीभगत करके फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिया। उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत ठीकरिया व पंचायत समति अंता में कोई रेकार्ड उपलबध नही है। गै0नि0 कम 1 उक्त फर्जी पट्टे का सिविल वाद हेमराज बनाम बृजराजसिंह वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सिविल न्यायालय अन्ता में प्रस्तुत कर उसका अनुचित लाभ प्राप्त करना [illegible] था गलत व विधि विरूद्व तथा अवैधानिक है। अतः ग्राम पंचायत ठीकरिया [illegible] पट्टा बहक देवकरण दिनांक 15.06.1979 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण द[illegible] जाकर, अधीनस्थ [illegible]य का रेकार्ड व गैरनिगराकारान को तलब किया गया [illegible] ग्राम पंचायत ठीक[illegible] पट्टे संबंधित रेकार्ड मॅगवाया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:42 IST
Reason: SelfAttested

गैर निगराकारान द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रिकॉर्ड के संबंध में विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता की रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि उक्त पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है।

इस पर हमने प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकारान व गैर निगराकारान अनुपस्थित रहे इस पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

बहस के दौरान अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ठीकरिया में दिनांक 15.06.1979 को सरपंच द्वारा गैर निगराकारान के पिता देवकरण पुत्र धन्नालाल जाति जाट निवासी ठीकरिया के हक में एक प्लॉट का पट्टा जारी किया था, जो अनुसूचित जाति, जनजाति कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषको को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड हेतु था। उक्त भूखण्ड आवंटन के वक्त देवकरण के खाते में 156 बीघा भूमि स्थित थी, तथा वह भूमिहीन नही थे, ना ही अनुसूचित जाति, जनजाति के है, और ना ही लघु कृषक की श्रेणी में आते थे। उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत ठीकरिया व पंचायत समति अंता में कोई रेकार्ड उपलबध नही है। उक्त पट्टा सर्वथा गलत व विधि विरूद्व तथा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत ठीकरिया द्वारा जारी पट्टा बहक देवकरण दिनांक 15.06.1979 निरस्त किया जावें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक निगराकार की सुनी तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत पट्टा दिनांक 15.06.1979 को लगभग 42 वर्ष पूर्व जारी किया गया है। निगराकार उक्त पट्टा इस आधार पर निरस्त कराना चाहता है कि देवकरण भूमिहीन नहीं था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था तथा भूमि आवंटित कराने हेतु पात्र नहीं था। विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता की रिपोर्ट दिनांक 22.10.2020 के अनुसार पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने के कारण मूल रिकार्ड उपलब्ध उपलब्ध कराना संभव नहीं होना बताया है। यह स्वाभाविक है कि 42 वर्ष पूर्व का रिकार्ड किसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो। इसके आधार पर पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता। निगराकार द्वारा जमांबदी सम्वत् 2030 से 2033 पेश की है जिसमें देवकरण की खातेदारी में 61 बीघा 2 बिस्वा भूमि दर्ज है, परन्तु देवकरण को पट्टा वर्ष 1979 अर्थात् सम्वत् 2036 में जारी किया गया है जिसका कोई रेकार्ड निगराकार द्वारा पेश नही किया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.11.2021 से यह भी अवगत कराया गया है कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार भूमि खसरा नं. 410 रकबा 0.39 है0, किस्म गै.मु. आबादी है। चूंकि उक्त भूमि गै.मु. आबादी में है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में देवकरण को गलत रूप से पट्टा जारी किया जाना साबित नही होता। परिणामस्वरूप निगराकार की निगरानी खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2022 को [illegible] जाकर, सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.24 10:48:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)